भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2729
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

पांडिचेरी विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति

†2729. **श्री वी. वैथिलिंगम:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय नवंबर 2023 से नियमित कुलपति के बिना चल रहा है;
(ख) क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि नियमित कुलपति की अनुपस्थिति पांडिचेरी विश्वविद्यालय के नीति निर्धारण निर्णयों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावित करती है; और
(ग) पांडिचेरी विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति कब की जाएगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की संविधियों में निहित प्रावधान के अनुसार, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से पांडिचेरी विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति की है और इसकी सूचना दिनांक 06.03.2025 को विश्वविद्यालय को दे दी गई है।

*****